

नाम
हृदय

Sir,
Not press by
Suresh

20/1/2023
पत्रावली पेशादारी वकील वादी उपर वकील वादी को
बताया गया कि पत्रावली में लोक अदालत की
भावना अनुरूप प्रकरण में राजीनामा देने
से बचना है। अतः प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत
में रखा जावे। वकील वादी को ज्ञात गया।
पत्रावली आईन्दादिनांक 11/1/2023 की राष्ट्रीय
लोक अदालत सिविल में पेश की।

अखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

11/1/2023

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल 2023
प्रथम में बैच सदस्यों के समक्ष पेश करी वकील
जनों की ओर से वकील वादी उपस्थित है।
वकील वादी द्वारा कथन किये गये कि वकील
अथ पत्रावली पर अग्रिम कोई कार्यवाही
नही चाहते हैं। वकील वादी द्वारा इस बाबत पत्रावली
पर Not press अंकित किया गया। बैच सदस्यों
द्वारा वकील वादी को ज्ञात गया। वकील वादी पत्रावली
पर ~~अग्रिम कोई कार्यवाही~~ में वकील प्रतिवादी गणों के मध्य
लोक अदालत की भावना अनुरूप समझौता करने
के कारण पत्रावली पर अग्रिम कोई कार्यवाही
नही चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बैच सदस्यों द्वारा
पत्रावली पर कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये
जाने का निर्णय लिया गया। पत्रावली फ़ैल
कुमार हो। नम्बर से कम होकर दायित्व
दफ़्तर हो।

अखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

अध्यक्ष
लोक अदालत बैच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर